

खंड – II
निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीबी)
मध्यप्रदेश शासन

अ. महत्वपूर्ण तिथियां / सामान्य जानकारी

क्र.	जानकारी	विवरण
1	संक्षिप्त विवरण	वनमण्डल के अंतर्गत चाय, नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था हेतु निविदा
2	ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	क्रमांक 3545 दिनांक 08/05/2026
3	निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत	500/- प्रोसेसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित)
4	सत्यांकार निधि	30,000/-
5	निविदा प्रस्ताव की वैधता	01 वर्ष
6	निष्पादन सुरक्षा	28,500/-
7	अनुमानित निविदा मूल्य	9,50,000/-
8	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	(पोर्टल पर शेड्यूल देखें)
9	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	(पोर्टल पर शेड्यूल देखें)
10	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	(पोर्टल पर शेड्यूल देखें)
11	जमा करने का प्रकार	ऑनलाइन जमा https://www.mptenders.gov.in/ पर करें

प्रथम निविदा में सामग्री दर यदि मार्केट (बाजार) से अधिक पाई जाती या सामग्री दर वनमंडल के बजट को प्रभावित करती है अथवा सामग्री की दर प्राप्त नहीं होने पर निविदा निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

- निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता सफल निविदाकार और वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
- निविदा में उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा सफल निविदाकार और वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल के बीच आपसी सहमति के अधीन बढ़ाई जा सकती है।
- वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्धता नहीं करता है कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता, निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालांकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।
- प्रति निविदाकार एक निविदा :-**
- निविदाकार एक व्यक्तिगत इकाई या संयुक्त उद्यम हो सकता है। संयुक्त उद्यम की आवश्यकता अनुलग्नक 6 में दी गई है।
- कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग-अलग एक से अधिक निविदायें प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा। यदि वह ऐसा करता है, तो निविदाकार द्वारा भाग ली गई सभी निविदायें अयोग्य मानी जाएंगी।
- निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्चे वहन करना होगा, और इसके लिए सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।
- निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस-पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें। इस संबंध में सभी खर्चे निविदाकार को वहन करना होगा।

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण बैतूल (सा0) वनमंडल



(ब) निविदा दस्तावेज

तकनीकी निविदा की अर्हकारी शर्त एवं अपलोड किये जाने वाले अभिलेख (दस्तावेज)

7. निविदाकारों को अपनी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे :-

- i) जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र (GST Registration Certificate)
 - ii) पैन कार्ड (PAN Card)
 - iii) पिछले 3 वित्तीय वर्षों (2023-24, 2024-25, 2025-26) के आयकर रिटर्न (Income Tax Returns for last 3 financial years)
 - iv) 100 रुपये स्टाम्प पेपर पर पूरा अनुलग्नक -1 (Completed ANNEXURE - 1 on Rs. 100 Stamp paper)
 - v) पूरा अनुलग्नक - 2 (Completed ANNEXURE - 2)
 - vi) पूरा अनुलग्नक -3 (Completed ANNEXURE - 3)
 - Vii) पिछले 03 प्रत्येक वित्तीय वर्षों (2023-24, 2024-25, 2025-26) का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (CA) से प्रमाणित टर्न ओवर सर्टीफिकेट की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
 - Viii) संस्था द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2023-24, 2024-25, 2025-26) में शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था हेतु उपयोगी निविदा में दर्शित सामग्री का प्रदाय किया हों। संबंधित संस्था का कार्य आदेश/प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रमाण स्वरूप अपलोड करें।
 - ix) दुकानें और प्रतिष्ठान पंजीकरण (Shops and Establishment Registration)
 - x) 'एमएसएमई प्रमाण पत्र' यदि ईएमडी छूट मांगी गई है (MSME certificate' if EMD exemptions has been asked for)
 - xi) 'स्टार्टअप इंडिया प्रमाण पत्र' यदि वार्षिक औसत टर्नओवर या/ और पिछले अनुभव से छूट मांगी गई है (अनुलग्नक 4 खंड (i) और (ii) ('STARTUP INDIA certificate' if exemption from Annual Average Turnover or/and previous Experience (ANNEXURE 4 -Clause (i) & (ii)) is claimed)
8. निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देश और शर्तों की सावधानी पूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा न करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
9. निविदा पूर्व बैठक (जहां लागू हो) **Pre-Bid Meeting (where applicable)**

जहां भी निविदा दस्तावेज में निविदा पूर्व बैठक का प्रावधान है :

- 9.1 ई-निविदा आमंत्रण सूचना में स्थान, तिथि और समय का उल्लेख किया जाएगा। निविदा पूर्व बैठक के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव केवल वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा, और निविदाकारों को अलग से सूचित नहीं किया जाएगा।
- 9.2 कोई भी संभावित निविदाकार निविदा पूर्व बैठक से पहले या उसके दौरान लिखित रूप में प्रश्न उठा सकता है अथवा स्पष्टीकरण मांग सकता है। ऐसी बैठक का उद्देश्य मुद्दों को स्पष्ट करना और उस चरण में उठाए जाने वाले किसी भी मामले पर सवालियों के जवाब देना है। निविदाकर्ता अपने विकल्प पर ऐसे स्पष्टीकरण दे सकता है जो उसे आवश्यक लगे।
- 9.3 निविदा पूर्व बैठक का कार्य विवरण जिसमें उठाए गए प्रश्नों का सार और दिए गए उत्तर तथा बैठक के बाद तैयार किए गए किसी भी उत्तर को शामिल किया जाएगा, वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जाएगा।

9.4 निविदा पूर्व बैठक के बाद यदि निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज में संशोधन करना आवश्यक समझता है, तो यह ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रण सूचना में संशोधन जारी करके किया जाएगा।

10. सत्यांकार निधि (ईएमडी) EARNEST MONEY DEPOSIT (EMD)

10.1 सत्यांकार निधि की गणना मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित - 2022) के नियम 14 के अनुसार की जानी है।

10.2 सत्यांकार निधि, निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज का मूल्य और प्रसंस्करण शुल्क ई-खरीद पोर्टल पर ऑनलाईन जमा किया जाएगा। ऑफलाइन जमा करना मान्य नहीं होगा। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.1 के अनुसार)

10.3 सफल सत्यांकार निधि जमा करने की रसीद की स्कैन की गई प्रति निविदा के साथ शामिल की जानी चाहिए।

10.4 असफल निविदाकारों की सत्यांकार निधि यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.2 के अनुसार)

10.5 सत्यांकार निधि जब्त की जा सकती है:

10.5.1 यदि निविदाकार, निविदा वैधता अवधि या इसकी विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान अपनी निविदा वापस ले लेता है या उद्धृत मूल्य में वृद्धि करता है;

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान, यदि निविदाकार जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे निविदा के मूल्यांकन और निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जोखिम या अनावश्यक रूप से देरी हो;

या

सफल निविदाकार के मामले में, यदि निविदाकार, निविदाकर्ता द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है;

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि निविदा में कोई जानकारी गलत/हेरफेर/छिपी हुई पाई जाती है।

10.6 सत्यांकार निधि जब्त करने और निविदा को अस्वीकार करने के संबंध में निविदाकर्ता का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

11. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से तीन-क्वर प्रणाली में ऑनलाईन होगी। इस निविदा सूचना के संबंध में सभी अधिसूचनाएं और विस्तृत नियम व शर्तें वेबसाइट पर ऑनलाईन प्रकाशित की जाएंगी।

12. निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने और निविदाओं को ऑनलाईन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया के दिशानिर्देश पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

13. पूर्व-योग्यता मापदंड अनुलग्नक 4 में दिए गए हैं। निविदाकारों को अपने पूर्व-योग्यता, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों पर आवश्यक जानकारी केवल संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रारूप में कोई भी विचलन निविदा को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी बना सकता है। पूर्व-योग्यता या तकनीकी लिफाफे में निविदा की वाणिज्यिक जानकारी का खुलासा निविदा को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार होगा।

14. तकनीकी निविदा पोर्टल पर ऑनलाईन खोली जाएंगी।

15. वाणिज्यिक निविदा के अलावा निविदा के किसी भी भाग में निविदा की कीमतों का उल्लेख नहीं होना चाहिए।
16. निविदाकार को वाणिज्यिक निविदा ऑनलाइन अपलोड करनी चाहिए और पोर्टल पर दिए गए बिल की मात्रा (BoQ) के अनुसार अपलोड करनी चाहिए।
17. निविदा मूल्य में लोडिंग, परिवहन, अनलोडिंग और स्टैकिंग (यदि आवश्यक हो) में शामिल लागत शामिल होगी। निविदाकार वनमण्डलाधिकारी द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री के परिवहन के लिए उत्तरदायी होंगे, जो कि दक्षिण बैतूल (सा.) वनमण्डल की भौगोलिक सीमा तक होगा। निविदा मूल्य में जीएसटी, अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होंगे और यह भारतीय रुपये में होगा।
18. सभी संभावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे दक्षिण बैतूल (सा.) वनमण्डल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करें और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 3) निविदाकार द्वारा भरा जाना चाहिए। पूरा प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।
19. निविदाकार द्वारा अनुलग्नक-1 में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार एक स्व-घोषणा 'काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र' निविदा दस्तावेजों के साथ 100/-के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(स) निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन :-

20. निविदाकर्ता किसी भी या सभी निविदाओं को परियोजना के सर्वोत्तम हित में समझे जाने वाले विचारों के आधार पर बिना किसी कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
21. निविदाकर्ता, प्राप्त तकनीकी और वाणिज्यिक निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक निविदा मूल्यांकन समिति (TEC) नियुक्त करेगा। निविदा मूल्यांकन समिति, निविदाओं की जांच करके यह निर्धारित करेगी कि वे पूर्ण एवं उत्तरदायी हैं और निविदा प्रारूप RFP आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं। निविदाकर्ता, निविदा में किसी भी अनौपचारिकता या गैर-अनुरूपता को माफ कर सकता है जो निविदाकर्ता के अनुसार भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है।
[गैर-भौतिक विचलन छोटी-मोटी त्रुटियों या चूक को संदर्भित करता है जो निविदा की मुख्य आवश्यकताओं या मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करती हैं, जैसे कि छोटी-मोटी लिपिकीय त्रुटियों या प्रारूपण संबंधी मुद्दे।
22. निविदाकर्ता केवल तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय निविदाएँ खोलेगा।
23. यदि कोई फर्म शून्य शुल्क/ प्रतिफल उद्धृत करती है, तो निविदा को अनुत्तरदायी माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि समिति/ वनमंडलाधिकारी की राय में, निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत प्रतिफल या तो बहुत कम या बहुत अधिक है, तो उसे भी अस्वीकार किया जा सकता है।
24. यदि दो या अधिक निविदाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव एक समान पाये जाते हैं, तो लॉटरी के माध्यम से निर्णय किया जाएगा।
25. कोई भी सशर्त निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
26. अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर ठीक किया जाएगा: यदि इकाई मूल्य और कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाती है, तो इकाई मूल्य मान्य होगा और

कुल मूल्य को सही किया जाएगा। यदि शब्दों और आंकड़ों के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में राशि मान्य होगी।

27. निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और अनुबंध करने से पहले किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने और सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति निविदाकर्ता का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा तथा निविदाकर्ता की कार्यवाही के कारणों के बारे में प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

(द) अनुबंध का पुरस्कार

28. सबसे कम दर उद्धृत करने वाली फर्म को निविदा दी जाएगी। यदि ऐसा होता है कि विभिन्न सामग्रियों के लिए प्राप्त न्यूनतम दरें अलग-अलग फर्मों से हैं, तो कार्य आदेश उन संबंधित फर्मों को जारी किए जाएंगे, जिनकी उक्त वस्तुओं के लिए क्रमशः सबसे कम दरें हैं।
29. नियोक्ता सफल निविदाकारों को 'स्वीकृति पत्र' (LOA) (अनुलग्नक 5) जारी करके सूचित करेगा कि उसकी निविदा स्वीकार कर ली गई है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सफल निविदाकार को शपथ-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
30. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, जिस निविदाकार को स्वीकृति पत्र(LOA) जारी किया गया है, उसे इस निविदा के लिए सुरक्षा जमा के रूप में अनुभाग "महत्वपूर्ण तिथियाँ/सामान्य जानकारी" पृष्ठ के क्रमांक 6 में निर्दिष्ट राशि जमा करनी होगी। निष्पादन सुरक्षा क्रियाशील शाखा वाले अनुसूचित बैंक (सहकारी बैंकों को छोड़कर) से सावधि जमा रसीद (FDR) या बैंक गारंटी के रूप में 'वनमण्डलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) वनमण्डल के पक्ष में जमा की जा सकेगी। सावधि जमा रसीद (FDR)या बैंक गारंटी की वैधता अनुबंध की संपूर्ण अवधि से 3 माह अधिक अवधि के लिए होगी। यदि धारा-2 के पैरा 1 के अनुसार निविदा प्रस्ताव की वैधता कुछ अवधि के लिए बढ़ाई जाती है, तो नई निष्पादन सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। हालाँकि, यदि मूल निष्पादन सुरक्षा जमा वैधता की अवधि आवश्यक निर्दिष्ट तिथि के लिए वैध है, तो उसे जारी रखा जा सकता है। निष्पादन सुरक्षा यह संतुष्ट होने पर वापस कर दी जाएगी कि अनुबंध के तहत निविदाकार के द्वारा दायित्वों का उचित निष्पादन किया गया है। हालाँकि, विभाग द्वारा निष्पादन सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निष्पादन सुरक्षा राशि की गणना सुध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम, 2015 (संशोधित-2022) के अनुरूप की जाएगी।
31. इस अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में या इस अनुबंध के अनुसार लागू किसी भी दंड की वसूली के लिए निविदाकर्ता को सफल निविदाकार को नोटिस दिए बिना, निष्पादन सुरक्षा की राशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू करने और विनियोजित करने का अधिकार होगा। संदेह से बचने के लिए, पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि निष्पादन सुरक्षा में शामिल किसी भी राशि के विनियोजन की आवश्यकता वाले किसी भी चूक की स्थिति में, निविदाकर्ता सफल निविदाकार को देय किसी भी बाद के भुगतान से कटौती कर सकता है, जैसे कि वह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन सुरक्षा को विनियोजित कर रहा हो। निष्पादन सुरक्षा को लागू करने के कारणों में नीचे दी गई शर्तें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:-
 - I. निविदाकार सामग्री देने में सक्षम नहीं है या निविदाकार ने ऐसी सामग्री प्रदाय की है जो समिति/वनमण्डलाधिकारी की राय में आवश्यक गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करती है और इसलिए निरीक्षण के दौरान उसे अस्वीकार कर दिया गया है।
 - II. निविदाकार या उसका कर्मचारी निविदाकर्ता के साथ अपने जुड़ाव के दौरान किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल है।
 - III. यदि निविदाकार लगातार तीन बार, निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं के प्रति गैर-उत्तरदायी है।
 - IV. निविदाकार समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है।

32. यदि सफल निविदाकार द्वारा निविदा शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो जमा की गई सत्यांकार राशि एवं निष्पादन सुरक्षा राशि जप्त करने के साथ 5 वर्ष के लिए काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जा सकेगी
33. स्वीकृत निविदाकार द्वारा वर्क आर्डर आने के बाद 7 दिवस में सामग्री की आपूर्ति पूरी नहीं की जाती है, तो निविदाकर्ता को सूचनापत्र दिया जायेगा और 3 दिवस के अंदर आपूर्ति करना होगा। उसके बाद भी आपूर्ति नहीं की जाने पर दोबारा 3 दिवस का समय दिया जायेगा। इस अंतराल के उपरांत अन्य निविदाकारों से L-2, L-3 या बाजार से आदि के क्रम में L-1 रेट पर सहमति लेकर सामग्री का शेष भाग खरीदने की कार्यवाही की जायेगी।

34. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर

- 34.1 सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करनी होगी और स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध समझौते का प्रारूप अनुलग्नक 7 में दिया गया है।
- 34.2 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर को सामग्री की आपूर्ति शुरू होने की सूचना के रूप में माना जाएगा। काम शुरू करने के लिए निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को आम तौर पर कोई अलग आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा।
- 34.3 सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने या अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में, निविदाकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निविदाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी सत्यांकार की राशि (EMD) जब्त कर ली जाएगी।
35. निविदाकर्ता, इस अनुबंध और लागू कानून के तहत किसी भी अन्य उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सफल निविदाकार को चूक का कारण बताते हुए 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जैसा वह उचित समझे, अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है और निविदाकार को काली सूची में डाल सकता है।
36. अनुबंध भारत में प्रचलित और लागू कानूनों द्वारा निर्धारित कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा, ऐसेवाणिज्यिक लेनदेनबांधे के भीतर। समय पर लागू कानून और अधिनियम के-प्रसंस्करण के संबंध में समय/ सभी कानूनीविवाद केवल मध्य प्रदेश के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

ई . अन्य नियम और शर्तें

- 37 सफल निविदाकर्ता को वन विभाग, दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल के साथ 1000/- रु. का स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जाना होगा। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर निष्पादन की राशि को जब्त किया जा सकेगा।
- 38 पात्र पाई गयी संस्था से प्रथमतः वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुबंध किया जाएगा।
- 39 निविदा में सर्वप्रथम बैतूल जिले के निविदाकारों को प्राथमिकता दी जावेगी। पात्र पाई गयी संस्था से प्रथमतः वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुबंध किया जाएगा।
- 40 वन विभाग, दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल द्वारा फर्म की कार्य क्षमता एवं गुणवत्ता को देखते हुए, अनुबंध की अवधि को आपसी सहमति से अधिकतम 02 वर्ष तक (एक बार में एक वर्ष) के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।
- 41 दोनों पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष निविदा समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम 03 माह की पूर्व सूचना देना आवश्यक है।
- 42 ऑनलाईन निविदा डालने हेतु सत्यंकार की राशि 50,000/- जमा करना होगा। निविदा में सफल निविदाकार की न्यूनतम दर प्राप्त होने के पश्चात् न्यूनतम दर सामग्री के लिए भाग-1 में उल्लेखित तालिका अनुसार पृथक-पृथक सामग्रीवार सत्यंकार की राशि जमा होगी। जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से एफ.डी. आर/ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में वनमंडलाधिकारी, दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल के पक्ष में होगी।
- 43 खाद्य सामग्री का प्रदाय संतोषजनक न होने या सफल निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में सफल निविदाकर्ता का आदेश वन विभाग, दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर राशि जब्त की जावेगी। इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जावेगी। ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार वनमंडलाधिकारी, दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।
- 44 त्रुटिपूर्ण सामग्री प्रदाय या विलम्ब से सामग्री प्रदाय करने पर निम्नानुसार दंड अधिरोपित किया जा सकेगा।
 - क. त्रुटि:- प्रति त्रुटि पर प्रति युनिट की दर का 50 प्रतिशत होगा।
 - ख. विलम्ब:- देयक की कुल राशि का 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह रहेगा।(दंड अधिरोपित करने का निर्णय वनमंडलाधिकारी, दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल के विवेकाधीन होगा।)
- 45 निविदा में स्वीकृत आईटम्स परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा आदेशित की जावेगी एवं आईटम्स में किसी प्रकार की समस्या खाने की गुणवत्ता में कमी आने पर संबंधित द्वारा कार्यवाही की जावेगी।
- 46 प्रदाय हेतु ई-निविदा में दर्शित आईटम्स/मात्रा पूर्णतः अनुमानित है, जिसमें परिवर्तन हो सकता है। आईटम्स/मात्रा परिवर्तन से संबंधित कोई भी विवाद मान्य नहीं होगा। निविदा में दर्शित सामग्री क्रय करने अथवा नहीं करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
- 47 निविदा दरें कार्य स्थल तक परिवहन, लोडिंग एवं अनलोडिंग, बुफे (Buffet) का सेटअप, गर्म भोजन सर्व करने हेतु पर्याप्त कर्मचारियों की टीम होनी चाहिये।
- 48 स्वीकृत निविदा के अनुसार जरूरत होने पर दर्शित आईटम्स पार्सल के रूप में भी प्रदाय करना होगा। पॉलिथीन बैग व प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। वन विभाग में वनधन केन्द्र खेड़ी द्वारा दोना-पत्तल बनाई जाती है। आप भोजन सर्व करने के लिये वनधन केन्द्र खेड़ी से दोना-पत्तल खरीद सकते हैं।
- 49 निविदाकार द्वारा भोजन बनाने वाले कर्मचारियों का ड्रेस कोड होना चाहिये जिसमें सभी को समान रंग की वर्दी, हेण्ड ग्लव्स और केप के साथ उपस्थित होना होगा एवं जरूरत होने पर हेण्ड वास की व्यवस्था करनी होगी। किसी भी ऐसे कर्मचारी जो कि तम्बाकू, बीड़ी, ऐल्कोहल का सेवन किया हो कार्यक्षेत्र में कार्य हेतु शामिल/उपस्थित नहीं होना चाहिये।

- 50 निविदाकार द्वारा कार्यक्षेत्र में होने वाले कचरे को एकत्रित कर स्वयं ही बाहर ले जाकर डस्टबीन में डाले। शासकीय केम्पस में किसी भी प्रकार का कचरा डम्प नहीं किया जायेगा।
- 51 भुगतान राशि से नियमानुसार समस्त देय करों की कटौती की जावेगी।
- 52 निविदाकार की फर्म पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीयन निविदा प्रकाशन के पूर्व का होना अनिवार्य है। उसके पास जी.एस.टी. नंबर होना चाहिये। फर्म पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- 53 निविदाकार को कार्यशील E-mail ID एवं Whatsapp नम्बर दिया जाना आवश्यक होगा जिस पर प्राधिकृत अधिकारियों से खाद्य सामग्री का प्रदाय आदेश जारी होने के 01 दिवस के भीतर आईटम्स का प्रदाय करना होगा। यदि समयावधि में खाद्य सामग्री का प्रदाय करना नहीं पाया गया तो इस स्थिति में स्थानीय स्तर पर या बाजार दर से खाद्य सामग्री क्रय की कार्यवाही की जावेगी। जिसका अधिकार वनमंडलाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। ताकि शासकीय कार्य प्रभावित न हो।
- 54 सामग्री की क्वालिटी एवं मात्रा का सत्यापन उपवनमंडलाधिकारी/परिक्षेत्राधिकारी द्वारा किया जावेगा। सत्यापित मात्रा के अनुसार ही भुगतान होगा।
- 55 नास्ता एवं भोजन खाने में किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी फर्म की होगी।
- 56 प्रदाय स्थल पर खाद्य सामग्री को ऐसा रखा जाये जो स्वच्छ, साफ-सुथरा हो।
- 57 सफल निविदाकार द्वारा इन शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर या शासन को क्षति होने पर प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी तथा प्रदायकर्ता का नाम काली सूची में दर्ज करने एवं निविदा करारनामा समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
- 58 निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर सकारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वन विभाग, दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल के पास सुरक्षित रहेगा।
- 59 निविदा दर स्वीकृत होने पर 1000/- रु. का स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जाना होगा।
- 60 जो निविदा मान्य नहीं होगी उनकी संत्यकार राशि नियम अनुसार लौटा दी जावेगी।
- 61 स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार की ब्याज देय नहीं होगा।
- 62 निविदाकार द्वारा नास्ता/भोजन बनाने में उपयोग होने वाली सभी मूल सामग्रीयां (Raw Material's) जैसे-हरी सब्जीयां इत्यादि ताजा होनी चाहिये। खाद्य सामग्री ISO मार्क एवं ब्रान्डेड होनी चाहिये।
- 63 FSSAI खाद्य लायसेंस होना जरूरी है।
- 64 अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदाएं बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसके लिए वह किसी के समक्ष उत्तरदायी नहीं होगा तथा निविदा दर बाजार दर से अधिक होने या बजट में प्रभाव होने पर पुनः विचार किया जावेगा।
- 65 निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर वन विभाग, वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल का निर्णय अंतिम होगा।
- 66 निविदा विषयक विवाद में अंतिम निर्णय वन विभाग, वनमंडलाधिकारी, दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल का होगा।
- 67 परिक्षेत्र अधिकारी (सा.) द्वारा एक दिन पूर्व भोजन व्यवस्था के लिये आदेश किया जायेगा। समस्त परिक्षेत्रों में किसी भी स्थान पर भोजन की व्यवस्था करनी होगी एवं सामान का विशेष ध्यान रखना होगा।
- 68 किसी भी तरह के विवाद के लिए न्यायालय क्षेत्र बैतूल न्यायालय के अंतर्गत रहेगा।

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

अनुलग्नक 1-
- घोषणास्व :प्रारूप काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र
₹100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है

दिनांक//:

सेवा में,

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल
जिला-बैतूल (म०प्र०)/

महोदय,

दिनांक के निविदा संदर्भ संख्या के प्रत्युत्तर में,

.....के स्वामीनिदेशक के रूप में/भागीदार/,

मैं..... फर्म/मान में हमारी कंपनीहमघोषणा करते हैं कि वर्त/ का रिकार्ड बेदाग है तथा उसे किसी भी राज्यसार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चित काल के लिए या किसी विशेष /केन्द्र सरकार/ ग्य घोषित नहीं किया गयाअवधि के लिए भ्रष्ट और धोखाधडीपूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य है।

हम आगे घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी.....फर्म/

निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्यसार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और /केन्द्र सरकार/ वहार के अलावा अन्य कारणोंधोखाधडीपूर्ण व्यसे काली सूची में नहीं डाली गई है और न ही अयोग्य घोषित की गई है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरीहमारी / प्रतिभूति पूर्णतः जब्त कर ली जाएगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार की गई सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा।

आपका धन्यवाद,

निविदाकार का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता: -

संगठन की मुहर: -

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक 2-

प्रारूप: निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति / फर्म का विवरण स्वघोषणा

1- निविदाका: फर्म का नाम/

2- पिता का नाम

3- स्थायी पता मकान क्रमांक

गली क्रमांक

स्थान

जिला पिन कोड

4- कार्यालय का पता

गली क्रमांक

स्थान

जिला पिन कोड

5- सत्यांकार राशि /बैंक गारंटी/एफडीआर -: का विवरण प्रकार (.डी.एम.ई)
संख्या दिनांक

राशि

बैंक का नाम

6- जीएसटी नंबर

निविदाकार के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं,
पितापति/

घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार रहूँगा। मैंने निविदा दस्तावेज़ की सभी शर्तों, नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने की शपथ लेता हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक 3-
प्रारूप : सामग्री प्रदाय हेतु क्षेत्र भ्रमण प्रमाण पत्र

मैं/हम जानता हूँ/जानते हैं कि सामग्री की आपूर्ति का दायरा दक्षिण बैतूल (सा.) वनमण्डल का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा । मैं/हम वनमण्डल के अंदर किसी भी दिए गए स्थान पर निविदा में प्रस्तावित सामग्रीप्रदाय करने के लिये सहमत है ।

मुझे/हमें क्षेत्र, प्रकार, स्तर, दूरी आदि के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने हमने बोली के लिए आवेदन करने से पहले कार्य/आपूर्ति स्थान का गहन निरीक्षण कर लिया है तथा कार्य स्थल से पूर्णतः संतुष्ट हैं तथा कार्य की सभी स्थितियों को समझ लिया है।

निविदाकार के
हस्ताक्षर
एवं मुद्रा

अनुलग्नक 4-

पूर्व-योग्यता मापदंड

निविदाकार के पास होना चाहिए:

"पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के दोगुने एवं समान कार्य का अनुभव निविदा के मदों की संभावित राशि के 25% से कम नहीं होना चाहिए।

संयुक्त उद्यम के मामले में, कम कारोबार वाली फर्म के कारोबार को मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। यदि निविदाकार के गठन /निगमन की तारीख तीन वर्ष से कम पुरानी है, तो गठन की तारीख के बाद पूरे हुए वित्तीय वर्षों के संबंध में औसत कारोबार को इस मापदंड के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

अनुलग्नक 5-
स्वीकृति पत्र क्रमांक

क्र

दिनांक

प्रति,
मेसर्स
(निविदाकार का नाम और पता)
विषय :

--00--

प्रिय श्री..... ,

कार्य के लिए आपकी बोली मउपरोक्तध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से मात्रा बिल और उसमें दी गई मदवार दरों के बराबर स्वीकार कर ली गई है। सामग्री का विवरण निम्नानुसार है -

स. क्र.	सामग्री का नाम और विवरण	खरीदी जाने वाली मात्रा	स्वीकृत दर (रूपये में)
1	2	3	4

आप इस पत्र के जारी होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें:

क. रुपये (रुपये. (आंकड़ों में) की निष्पादन सुरक्षा/ निष्पादन गारंटी (रुपये केवल शब्दों में)। निष्पादन सुरक्षा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सावधि जमा/बैंक गारंटी की रसीद के रूप में होगी जो वस्तुओं की आपूर्ति के तीन महीने बाद तक वैध होगी,के नाम पर प्रतिज्ञा।

ख. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करें।

भवदीय

अनुलग्नक 6
संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर)

यदि संयुक्त उद्यम की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए:

1. साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मों के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत निविदाएँ निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगी:
 - क. भागीदारों में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामित किया जाएगा, और इस प्राधिकरण को सभी भागीदारों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जाएगा;
 - ख. निविदा और, सफल निविदा के मामले में, समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि यह सभी भागीदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो;
 - ग. प्रभारी भागीदार को संयुक्त उद्यम के किसी भी और सभी भागीदारों के लिए और उनकी ओर से देयताओं को वहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाएगा और भुगतान सहित अनुबंध का पूरा निष्पादन विशेष रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जाएगा;
 - घ. संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे, और इस आशय का एक कथन ऊपर [सी] के तहत उल्लिखित प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा, साथ ही निविदा में और अनुबंध में [सफल निविदा के मामले में];
 - ङ. संयुक्त उद्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। अनुबंध की अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की निष्पादन में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे बाद में बदला/संशोधित नहीं किया जाना चाहिए;
 - च. संयुक्त उद्यम समझौते को पंजीकृत किया जाना चाहिए, ताकि यह कानूनी रूप से वैध हो और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो; और
 - छ. भागीदारों द्वारा किए गए संयुक्त उद्यम समझौते की एक प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
2. निविदा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता मानदंडों के साथ निविदाकार निष्पादन को निर्धारित करने के लिए संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदार के आंकड़े एक साथ जोड़े जाएंगे। सभी भागीदारों को सामूहिक रूप से निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3. संयुक्त उद्यम की निष्पादन सुरक्षा साझेदार प्रमुख साझेदार/ संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी।
4. संयुक्त उद्यम की ओर से निविदा हस्ताक्षरकर्ता (यों) को अधिकृत करने वाले साझेदारों की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें
5. संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों के बीच हुए समझौते को संलग्न करें (और जो सभी साझेदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, जो निविदाकारों के लिए निर्देशों में दर्शाई गई आवश्यकताओं को दर्शाता है।
6. संयुक्त उद्यम में भागीदारी का विवरण नीचे दिए अनुसार प्रस्तुत करें;

क्रमांक	भागीदारी विवरण	फर्म "ए" (प्रमुख भागीदार)	फर्म "बी"	फर्म "सी"
---------	----------------	---------------------------	-----------	-----------

अनुलग्नक 7

अनुबंध

यह अनुबंध, दिनांक..... को वनमण्डल अधिकारी..... जिला (म.प्र.) (निविदाकर्ता का नाम और पता) (जिसे आगे "निविदाकर्ता" कहा जाएगा) और मेसर्स..... (निविदाकार का नाम और पता) जिसे आगे "निविदाकार" कहा जाएगा, के बीच दूसरे पक्ष के लिए किया गया है।

जबकि निविदाकर्ता चाहता है कि निविदाकार वनमण्डल अधिकारी,.....-.....म.प्र. (अनुबंध का नाम और पहचान संख्या) (जिसे आगे "कार्य" कहा जाएगा) द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति निष्पादित करे और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बोली को स्वीकार कर लिया है।

अब यह अनुबंध इस प्रकार प्रमाणित होता है:

1. इस अनुबंध में, शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुबंध की शर्तों में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को किए जाने वाले भुगतानों के विचार में, जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, निविदाकार अनुबंध के प्रावधानों के साथ सभी पहलुओं में अनुरूपता में कार्य निष्पादित और पूरा करने के लिए निविदाकर्ता के साथ अनुबंध करता है।
3. निविदाकर्ता अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुबंध मूल्य या ऐसी अन्य राशि जो अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है, के निष्पादन और पूरा होने के विचार में निविदाकार को भुगतान करने के लिए अनुबंध करता है।
4. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के भाग के रूप में तैयार और समझा जाएगा अर्थात्
 - i. स्वीकृति पत्र
 - ii. निविदाकारों को निर्देश
 - iii. अनुलग्नक 1 से 3
 - iv. बिल की मात्रा (BOQ) और
 - v. निविदा दस्तावेज़ में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज़ जो अनुबंध का हिस्सा है

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस समझौते को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निष्पादित किया है।

सामान्य मुहर..... इस पर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई गई थी:

उक्त.....द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और परिदत्त.....की उपस्थिति में:

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

निविदाकार के हस्ताक्षर